भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2893

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पंजाब में आरकेवीवाई

2893. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान पंजाब, विशेषकर आनंदपुर साहिब के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) बलाचौर (नवांशहर) और गढ़शंकर (होशियारपुर) जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में सुव्यवस्थित खेती, कृषि यंत्रीकरण और बागवानी क्लस्टरों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की विस्तृत सूची क्या है;

(ग) होशियारपुर और मोहाली जिलों में आरकेवीवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हुए किसानों की खंड-वार संख्या कितनी है; और

(घ) धान विविधीकरण के लिए आनंदपुर साहिब लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सब्जी/किन्नू की खेती हेतु आरकेवीवाई वित्तपोषण को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) कार्यान्वित की जा रही है और पिछले दो वर्षों में इस समग्र योजना के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को जारी की गई केंद्रीय निधि और राज्य द्वारा किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

	2024-25 (केंद्रीय हिस्सा)		2025-26 (केंद्रीय हिस्सा)	
	जारी किया गया फंड	व्यय	जारी किया गया फंड	व्यय (दिनांक 31.01.2026 तक)
आरकेवीवाई-डीपीआर	18.40	2.26	97.75	47.17
पीडीएमसी	5.50	0.24	7.81	3.06
एसएमएएम/सीआरएम	231.50	161.74	323.57	219.69
पीकेवीवाई	2.79	2.24	4.08	3.73
एसएच एंड एफ	2.15	0.28	7.07	2.26
कृषि वानिकी	0.50	0.00		0.00
सीडीपी	23.80	0.12	41.58	14.08
कुल	284.64	166.88	481.86	289.99

राज्यों के भीतर जिलावार और निर्वाचन क्षेत्रवार निधि जारी करने और व्यय करने का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख): वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्य की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत आरकेवीवाई-डीपीआर घटक के तहत कुल 49 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। डीपीआर घटक का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं को पूरा करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना, उत्पादकता, प्रसंस्करण और विपणन प्रणालियों में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना है। आरकेवीवाई-डीपीआर के तहत, "उत्पादक खेती को बनाए रखने के लिए भूमिगत पाइपलाइन का उपयोग करके सिंचाई जल के कुशल परिवहन को बढ़ावा देने की परियोजना" होशियारपुर जिले सहित राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब में लागू की गई 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) योजना के तहत जल संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और जल-बचत तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में राज्य को 7.81 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा) जारी किए गए हैं।

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान बालाचौर (नवांशहर) और गढ़शंकर (होशियारपुर) में 18 किसानों को लाभ मिला है। इसी प्रकार, पीएम-आरकेवीवाई के फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) घटक के तहत, वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 134 किसानों को मशीनें उपलब्ध कराई गईं। वर्तमान वर्ष में, एसएमएएम और सीआरएम दोनों घटकों के तहत केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में राज्य को 323.57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार, राज्य में समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत बालाचौर (नवांशहर) और गढ़शंकर (होशियारपुर) जैसे क्षेत्र आते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए क्षेत्र का विस्तार, उत्पादकता में सुधार, फसलोपरान्त प्रबंधन और बेहतर बाजार संपर्कों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के सतत और व्यापक विकास को बढ़ावा देना है।

(ग): पिछले 2 वर्षों में होशियारपुर और मोहाली जिलों में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	होशियारपुर	मोहाली
2024-25	81	5
2025-26	42	9

पिछले 3 वर्षों (2023-24 से 2025-26) में होशियारपुर और मोहाली जिलों में जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	होशियारपुर	मोहाली
2023-24 से 2025-26	10062	3176

पिछले 2 वर्षों (2024-25 से 2025-26) में होशियारपुर और मोहाली जिलों में पीडीएमसी और आरकेवीवाई-डीपीआर के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	पीडीएमसी	डीपीआर
2024-25	2174	1670
2025-26	2189	2497

(घ): पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि रूपनगर जिले में आरकेवीवाई के तहत एमआईडीएच मानदंडों के अनुसार पहले सब्जी/किन्नू की खेती के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। अब, नए किन्नू बागान की स्थापना के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की 40% वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, जिले में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए, हाइब्रिड वेजिटेबल्स एंड ऑपन पोलाइनेटेड सब्जी फसलों की खेती के लिए क्रमशः 24,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित है। राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल को दलहन, तिलहन/मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा जा सके। यह कार्यक्रम होशियारपुर जिले सहित राज्य के 19 जिलों में कार्यान्वित किया गया है।

*****